

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नैनीताल।

आदेश सं०/प्रा०शि०/दो(2)/स्था०/ 106

/2019-20 दिनांक 25 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप


उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या 152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07-06-2019 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में रा०प्रा०वि० पदों पर कार्यरत निम्नलिखित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ चार में अंकित तैनाती स्थल पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण- स०अ०,रा०प्रा०वि०

क्र०सं०	सहायक अध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	संगीता कोरगा	रा०प्रा०वि०,किशनपुर	रा०प्रा०वि० रैलाखत्ता हल्द्वानी।	
2	आनन्दी असवाल	रा०प्रा०वि०,विजयपुर चकलुवा,कोटाबाग	रा०प्रा०वि० नलवाडखत्ता कोटाबाग।	
3	हेमलता भट्ट	रा०प्रा०वि०,पीपलपोखरा	रा०प्रा०वि० गदगदिया खत्ता,कोटाबाग	
4	अनुपा साह	रा०प्रा०वि०,सुल्ताननगरी	रा०प्रा०वि० ज्योतियाल खत्ता हल्द्वानी।	
5	अम्बिका चौधरी	रा०प्रा०वि०,भगवानपुर,धूनी न०-2	रा०प्रा०वि० बांसीवाल खत्ता कोटाबाग।	
6	कमला रिखाडी	रा०प्रा०वि०,टांडामल्लू	रा०प्रा०वि० मोहननगर रामनगर।	
7	रीमा भट्ट	रा०प्रा०वि०,देवलचौड	रा०प्रा०वि० पीपलपडाव हल्द्वानी।	
8	किरन जोशी	रा०प्रा०वि०,विजयपुर धमोला,कोटाबाग	रा०प्रा०वि० तलिया कोटाबाग।	
9	निशात शाहीन	रा०प्रा०वि०,साहपठानी खत्ता	रा०प्रा०वि० पदियाखत्ता हल्द्वानी।	
10	भागीरथी जोशी	रा०प्रा०वि०,चीडखत्ता	रा०प्रा०वि० डौलीखत्ता हल्द्वानी।	
11	जयन्ती जोशी	रा०प्रा०वि०,श्यामखेत,रामगढ	रा०प्रा०वि० बूडाधूरा,भीमताल	
12	रश्मि सती	रा०प्रा०वि०,लामाचौड खास,हल्द्वानी	रा०प्रा०वि० पिनसेला,भीमताल	
13	उषा पाण्डे	रा०प्रा०वि०,लालकुंआं ग्राम,हल्द्वानी	रा०प्रा०वि० कलेगाखत्ता हल्द्वानी।	
14	सुनीता	रा०प्रा०वि०, गांजा, भीमताल	रा०प्रा०वि० रा०प्रा०वि० कुनखेत, कोटाबाग	
15	रश्मि नेगी	रा०आ०प्रा०वि०,हल्दूचौड,हल्द्वानी	रा०प्रा०वि० मल्ला चोपडा भीमताल।	
16	शशिबाला जोशी	रा०प्रा०वि०,घासमंडी,रामनगर	रा०प्रा०वि० द०पाटकोट,रामनगर।	
17	लीलावती मेहता	रा०प्रा०वि०,लालकुंआं ग्राम,हल्द्वानी	रा०प्रा०वि० नाईसिला भीमताल।	
18	कमला भक्त	रा०प्रा०वि०,लालकुंआं ग्राम,हल्द्वानी	रा०प्रा०वि० सिमलखेत कोटाबाग।	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- 1 स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने वर्तमान उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विद्यालय के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे तथा उनकी अनुमति के पश्चात् अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस बात का अवश्य संज्ञान लिया जाय कि विद्यालय शिक्षक विहीन न हो।
- 2 स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये सहायक अध्यापक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।



(गोपाल स्वरूप)

25/6/19

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।

पृ०सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/


154-80

/2019-20

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 मण्डलीय अपर निदेशक प्रा०शि० कु०म० नैनीताल।
- 4 मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल।
- 5 सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद नैनीताल।
- 6 सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सहायक अध्यापकों को अपने स्तर से कार्यमुक्त /कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय किसी भी दशा में बन्द न होने पायें। कतिपय स्थानान्तरण संभावित रिक्त पद के प्रति भी किये गये हैं अतः यह सुनिश्चित हो ले कि अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आये शिक्षकों को कार्यमुक्त करना अनिवार्य है।
- 7 सम्बन्धित सहायक अध्यापक को संबंधित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
- 8 कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


25/6/19

(गोपाल स्वरूप)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नैनीताल।

आदेश सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/ 110

कार्यालय ज्ञाप

/2019-20 दिनांक 27 जून, 2019

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या 152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07-06-2019 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में रा०प्रा०वि० पदों पर कार्यरत निम्नलिखित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मनाकानुसार स्तम्भ चार में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-
अनिवार्य स्थानांतरण दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र -स०अ० रा०प्रा०वि०


क्र० सं०	सहायक अध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	राजेश्वरी मेहता	रा०प्रा०वि० मल्ला निगलाट	रा०प्रा०वि० भवाली सेन्टोरियम, भीमताल	
2	तनुजा जोशी	रा०प्रा०वि० नवीन खमारी	रा०प्रा०वि० घनपुर, कोटाबाग	
3	पुष्पा बिष्ट	रा०प्रा०वि० जलालगांव	रा०प्रा०वि० बैलपड़ाव	
4	भावना छिमवाल	रा०प्रा०वि० देचोरीदेगांव	रा०प्रा०वि० कालदूगी रोड, हल्द्वानी	
5	दीपा जोशी	रा०प्रा०वि० ज्योतियाल खत्ता	रा०प्रा०वि० भगवानपुर बिचला, हल्द्वानी	
6	सीमा वर्मा	रा०प्रा०वि० कोटखर्वा खत्ता	रा०प्रा०वि० गांधीनगर, हल्द्वानी	
7	मालती कन्याल	रा०प्रा०वि० पदियाखत्ता	रा०प्रा०वि० कालदूगी रोड, हल्द्वानी	
8	गरिमा जोशी	रा०प्रा०वि० क्वारब मल्ला	रा०प्रा०वि० खैरना बेतालघाट	
9	ममता शाह	रा०प्रा०वि० नलवाड खत्ता	रा०प्रा०वि० विदरामपुर, कोटाबाग	
10	सुमन नेगी	रा०प्रा०वि० गैरखेत	रा०प्रा०वि० गडपूखत्ता, कोटाबाग	
11	भुवन चन्द्र दुर्गापाल	रा०प्रा०वि० देवद्वार	रा०प्रा०वि० दीना हल्द्वानी	
12	सिद्धार्थ बधानी	रा०प्रा०वि० थापली	रा०प्रा०वि० हिम्मतपुर चौमवाल, हल्द्वानी	
13	नीमा आर्या	रा०प्रा०वि० शिवनाथपुर नई बस्ती	रा०प्रा०वि० कंचनपुर छोई रामनगर	
14	निर्मल कुमार तिवारी	रा०प्रा०वि० वैल घट्टी	रा०प्रा०वि० छोई रामनगर	
15	हिम्मत सिंह	रा०प्रा०वि० सिगडी	रा०प्रा०वि० पीपलपोखरा हल्द्वानी	
16	कमला अधिकारी	रा०प्रा०वि० पटलिया खत्ता	रा०प्रा०वि० सुभाषनगर, हल्द्वानी	
17	कमला त्रिपाठी	रा०प्रा०वि० नवीन खमारी	रा०प्रा०वि० लामाचौड खास	
18	विनीता श्रीवास्तव सक्सेना	रा०प्रा०वि० पडकिया खत्ता	रा०प्रा०वि० बैलबाबा, हल्द्वानी	
19	रेखा गोस्वामी	रा०प्रा०वि० भेवा भीमताल	रा०प्रा०वि० रेलवे बाजार, हल्द्वानी	
20	शबनम जहाँ	रा०प्रा०वि० अमतोली कोटाबाग	रा०प्रा०वि० खताडी	
21	भुवन चन्द्र	रा०प्रा०वि० हरचनोली	रा०प्रा०वि० गांधीनगर, हल्द्वानी	
22	गोपाल सिंह जलाल	रा०प्रा०वि० सोनजाला	रा०प्रा०वि० कुरियागांव,	
23	दीपक राठौर	रा०प्रा०वि० तपस्थानाला	रा०प्रा०वि० हल्दूपोखरा नायक हल्द्वानी	
24	गजाला आरा	रा०प्रा०वि० रेलाखत्ता चोरगलिया	रा०प्रा०वि० गिनती गांव	
25	बलवन्त सिंह भण्डारी	रा०प्रा०वि० मल्ली सेठी	रा०प्रा०वि० गांधीनगर लालकुआं	
26	निर्मला गिरी	रा०प्रा०वि० दक्षिणी पाटकोट	रा०प्रा०वि० लक्ष्मीपुर बनिया	
27	भुपेन्द्र सिंह बिष्ट	रा०प्रा०वि० घटगढ	रा०प्रा०वि० सोनजाला नरसिंह	
28	भुवन चन्द्र जोशी	रा०प्रा०वि० भनपोखरा	रा०प्रा०वि० चल्किया, कोटाबाग	
29	चंदन सिंह बोरा	रा०प्रा०वि० सुखा दनखोरी	रा०प्रा०वि० कल्याणपुर, कोटाबाग	
30	रेखा जोशी	रा०प्रा०वि० गैरखाल	रा०प्रा०वि० चौकबाजार हल्द्वानी	
31	सुनिता वर्मा	रा०प्रा०वि० गढगांव रामगढ़	रा०प्रा०वि० चल्किया, कोटाबाग	
32	गीता अधिकारी	रा०प्रा०वि० किलोर पाथरी	रा०प्रा०वि० कलियाजाला	
33	हरदयाल सिंह जलाल	रा०प्रा०वि० पीपलपड़ाव	रा०प्रा०वि० इन्द्रानगर हल्द्वानी	
34	रश्मि गुप्ता	रा०प्रा०वि० तुमडिया डाम II	रा०प्रा०वि० देवलचौड, कोटाबाग	
35	कमला बिष्ट	रा०प्रा०वि० भलौन	रा०प्रा०वि० उदयपुरी चोपड़ा रामनगर	
36	सरिता पंत	रा०प्रा०वि० मोहननगर	रा०प्रा०वि० बालक राजपुरा हल्द्वानी	
37	सुनिता तिवारी	रा०प्रा०वि० बासीवाल खत्ता	रा०प्रा०वि० बनभूलपुरा हल्द्वानी	
38	दया रावत	रा०प्रा०वि० पोखराड, धारी	रा०प्रा०वि० रेलवे बाजार हल्द्वानी	
39	पुरन चन्द्र भट्ट	रा०प्रा०वि० काण्डा ओखलकाण्डा	रा०प्रा०वि० उदयपुरी चोपड़ा	
40	हेमलता नेगी	रा०प्रा०वि० नाईसिला	रा०प्रा०वि० थारी रामनगर	

(Signature)

41	पुष्पा पाण्डे	रा0प्रा0वि0 सिरसा	रा0प्रा0वि0 मोतीपुर छोई रामनगर
42	रेनु पुनेठा	रा0प्रा0वि0 झडगांव मल्ला ओखलकांडा	रा0प्रा0वि0 क्यारीखाम रामनगर
43	पुष्पा तिवारी	रा0प्रा0वि0 कोटखर्वा खत्ता	रा0प्रा0वि0 कन्या राजपुरा हल्द्वानी
44	मुकुल चन्द्र जोशी	रा0प्रा0वि0 तलिया कोटाबाग	रा0प्रा0वि0 इन्द्रानगर हल्द्वानी
45	राजेन्द्र सिंह मेहरा	रा0प्रा0वि0 लेटी	रा0प्रा0वि0 रानीबाग हल्द्वानी
46	उमेश चन्द्र पंत	रा0प्रा0वि0 पटोडी	रा0प्रा0वि0 चौकबजार, हल्द्वानी
47	कविता तिवारी	रा0प्रा0वि0 बगड	रा0प्रा0वि0 उदयपुरी बन्दोबस्ती रामनगर
48	हेमा जीना	रा0प्रा0वि0 हरिनगर जंगलियागांव	रा0प्रा0वि0 जोगीपुरा रामनगर
49	नंदी चिलवाल	रा0प्रा0वि0 मल्ला चोपडा	रा0प्रा0वि0 जोगीपुरा रामनगर
50	गंगा भण्डारी	रा0प्रा0वि0 बडौन	रा0प्रा0वि0 इन्द्रानगर हल्द्वानी
51	मलय शाह	रा0प्रा0वि0 दुनीखाल	रा0प्रा0वि0 दयारामपुर टाण्डा रामनगर
52	अजय मोहनलाल साह	रा0प्रा0वि0 सिलमोडिया	रा0प्रा0वि0 देवीचौड रामनगर
53	मोहित कुमार आर्य	रा0प्रा0वि0 बुरांशी	रा0प्रा0वि0 पापडी रामनगर
54	माला लोहनी	रा0प्रा0वि0 जन्तवाल धुस्रा	रा0प्रा0वि0 बनमूलपुरा, हल्द्वानी
55	रीता	रा0प्रा0वि0 लेटीबुंगा	रा0प्रा0वि0 रेलवे लालकुआँ
56	प्रोमिला	रा0प्रा0वि0 चापड	रा0प्रा0वि0 बालक राजपुरा, हल्द्वानी
57	अपर्णा पंत	रा0प्रा0वि0 राईखत्ता	रा0प्रा0वि0 सुन्दरखाल रामनगर हल्द्वानी
58	सुनिता चोरसिया	रा0प्रा0वि0 लटफोडा प्राचीन	रा0प्रा0वि0 शान्तिनगर, हल्द्वानी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 22 में निहित प्रावधानानुसार उक्त स्थानन्तरित सहायक अध्यापक के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:

- 1 स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने वर्तमान उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विद्यालय के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे तथा उनकी अनुमति के पश्चात् अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस बात का अवश्य संज्ञान लिया जाय कि विद्यालय शिक्षक विहीन न हो।
- 2 स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये सहायक अध्यापक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


(गोपाल स्वरूप) 25/6/19

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
नैनीताल।

पृ0सं0/प्रा0शि0/दो(2)/स्था0/ 1601-06 /2019-20 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक प्रा0शि0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0शि0 कु0म0 नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद नैनीताल।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सहायक अध्यापकों को अपने स्तर से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय किसी भी दशा में बन्द न होने पायें। कतिपय स्थानान्तरण संभावित रिक्त पद के प्रति भी किये गये हैं अतः यह सुनिश्चित हो ले कि अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आये शिक्षकों को कार्यमुक्त करना अनिवार्य है।
7. सम्बन्धित सहायक अध्यापक को संबन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
8. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।



(गोपाल स्वरूप)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
नैनीताल।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नैनीताल।

आदेश सं०/प्रा०शि०/दो(2)/स्था०/

/2019-20 दिनांक 25 जून 2019


कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या 152/ XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07-06-2019 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में रा०प्रा०वि० पदों पर कार्यरत निम्नलिखित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के मनाकानुसार स्तम्भ चार में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-
अनुरोध के आधार पर उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी श्रेणी में स्थानान्तरण -स०अ० रा०प्रा०वि०

क्र०सं०	सहायक अध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	रमा उनियाल	रा०प्रा०वि० तुमडियाडाम	रा०प्रा०वि० सुल्तान नगरी	
2	ममता पाण्डे	रा०प्रा०वि० ध्वैती	रा०प्रा०वि० कालादुगी रोड	
3	गुंजन जोशी	रा०प्रा०वि० रौलजांगल	रा०प्रा०वि० मेहरागांव द्वितीय	
4	तुलसी गुणवन्त	रा०प्रा०वि० सिरसा तल्ला	रा०प्रा०वि० मोतीनगर हल्द्वानी	
5	ललिता रौतेला	रा०प्रा०वि० परबडा	रा०प्रा०वि० भौनियाघार	
6	महेश्वरी बिष्ट	रा०प्रा०वि० कपरौली	रा०प्रा०वि० मोतीनगर	
7	मनोज कुमार	रा०प्रा०वि०, तुषराड	रा०प्रा०वि०, गौजाजाली	
8	संगीता बिष्ट	रा०प्रा०वि० जोग्युडा	रा०प्रा०वि० ऑडिट रुम नैनीताल	
9	सतोष रौतेला	रा०प्रा०वि० पाण्डेछोड़	रा०प्रा०वि० नवाडखेडा कालोनी	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:

- 1 स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने वर्तमान उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विद्यालय के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे तथा उनकी अनुमति के पश्चात् अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस बात का अवश्य संज्ञान लिया जाय कि विद्यालय शिक्षक विहीन न हो।
- 2 स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये सहायक अध्यापक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- 5


25/6/19

(गोपाल स्वरूप)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।

पृ०सं०/प्रा०शि०/दो(2)/स्था०/

1602-17

/2019-20

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 मण्डलीय अपर निदेशक प्रा०शि० कु०म० नैनीताल।
- 4 मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल।
- 5 सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद नैनीताल।
- 6 सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सहायक अध्यापकों को अपने स्तर से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय किसी भी दशा में बन्द न होने पायें। कतिपय स्थानान्तरण संभावित रिक्त पद के प्रति भी किये गये हैं अतः यह सुनिश्चित हो ले कि अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आये शिक्षकों को कार्यमुक्त करना अनिवार्य है।
- 7 सम्बन्धित सहायक अध्यापक को संबंधित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
- 8 कार्यालय सुरक्षित पंजिका।



(गोपाल स्वरूप)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नैनीताल।

आदेश सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/

112

कार्यालय ज्ञाप

/2019-20 दिनांक 25 जून, 2019

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शारन के पत्र संख्या 162/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07-06-2019 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में रा०प्रा०वि० पदों पर कार्यरत निम्नलिखित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के मनाकानुसार स्तम्भ चार में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

अनुरोध के आधार पर मानसिक रूप से विकसित अथवा ऐसे रोगग्रस्त बच्चे जो पूर्णतः लाचार हैं तथा देखभाल/नियंत्रण आदि के लिए पूर्णतः माता पिता पर निर्भर हैं श्रेणी में स्थानान्तरण -स०आ० रा०प्रा०वि०

क्र०सं०	सहायक अध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री हेमपुरी गोस्वामी	रा०प्रा०वि० डडोर	रा०प्रा०वि० देवला तल्ला	
2	मंजू पाण्डे	रा०प्रा०वि० हरिनगर	रा०प्रा०वि० सावलदे पश्चिम	
3	प्रदीप कुमार सिंह बोरा	रा०प्रा०वि० रमैला गांव	रा०प्रा०वि० जीतपुर नेगी	
4	भावना गोस्वामी	रा०प्रा०वि० सिमाला,रामगढ	रा०प्रा०वि० उदयलालपुर हल्द्वानी	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:

- 5 स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने वर्तमान उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विद्यालय के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे तथा उनकी अनुमति के पश्चात् अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस बात का अवश्य संज्ञान लिया जाय कि विद्यालय शिक्षक विहीन न हो।
- 6 स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7 स्थानान्तरित किये गये सहायक अध्यापक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8 स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(गोपाल स्वरूप)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।

पृ०सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/1814-19 /2019-20 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 मण्डलीय अपर निदेशक प्रा०शि० कु०म० नैनीताल।
- 4 मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल।
- 5 सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद नैनीताल।
- 6 सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सहायक अध्यापकों को अपने स्तर से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय किसी भी दशा में बन्द न होने पायें। कतिपय स्थानान्तरण संभावित रिक्त पद के प्रति भी किये गये हैं अतः यह सुनिश्चित हो ले कि अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आये शिक्षकों को कार्यमुक्त करना अनिवार्य है।
- 7 सम्बन्धित सहायक अध्यापक को संबन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
- 8 कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

(गोपाल स्वरूप)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नैनीताल।

आदेश सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/

113

कार्यालय ज्ञाप


/2019-20 दिनांक 25 जून, 2019

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या 152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07-06-2019 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुरंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में रा०प्रा०वि० पदों पर कार्यरत निम्नलिखित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ चार में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-
अनुरोध के आधार पर कार्मिक स्वयं अथवा पति-पत्नी की गम्भीर रोगग्रस्तता/विकलांगता श्रेणी में स्थानान्तरण -स०अ० रा०प्रा०वि०

क्र०सं०	सहायक अध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	5	5
1	शबाना रसीद	रा०प्रा०वि०पसौली	रा०कन्या प्रा०वि०,बरेली रोड हल्द्वानी	
2	सतीश नैनवाल	रा०प्रा०वि०सलडी	रा०प्रा०वि०,देवलचौड हल्द्वानी	
3	वर्तिका गुप्ता	रा०प्रा०वि०,बानना	रा०प्रा०वि० कमोला	
4	गोपी चन्द	रा०प्रा०वि०अमोटा	रा०प्रा०वि० शिवनाथपुर रामनगर	
5	प्रीती पन्त	रा०प्रा०वि०,कफूडा	रा०प्रा०वि० गौजाजाली	
6	दलीप सिंह	रा०प्रा०वि०,धूरा	रा०प्रा०वि० नवाइखेडा हल्द्वानी	
7	महेश चन्द्र रेखाडी	रा०प्रा०वि० ग्वागडा	रा०प्रा०वि०,फूलचौड हल्द्वानी	
8	सूनील कुमार पंत	रा०प्रा०वि०,पाटली	रा०प्रा०वि० नौदा	
9	राम प्रकाश द्विवेदी	रा०प्रा०वि०हल्सौकोरड	रा०प्रा०वि० गैबुआ	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने वर्तमान उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विद्यालय के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे तथा उनकी अनुमति के पश्चात् अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस बात का अवश्य संज्ञान लिया जाय कि विद्यालय शिक्षक विहीन न हो।
2. स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये सहायक अध्यापक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


25/6/19


(गोपाल स्वरूप)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।

पृ०सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/ 1620-26 /2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक प्रा०शि० कु०म० नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद नैनीताल।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सहायक अध्यापकों को अपने स्तर से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय किसी भी दशा में बन्द न होने पायें। कतिपय स्थानान्तरण संभावित रिक्त पद के प्रति भी किये गये हैं अतः यह सुनिश्चित हो ले कि अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आये शिक्षकों को कार्यमुक्त करना अनिवार्य है।
7. सम्बन्धित सहायक अध्यापक को संबंधित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
8. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।



(गोपाल स्वरूप)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नैनीताल।

आदेश सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/ 110

/2019-20 दिनांक 25 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप


उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या 152/ XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07-06-2019 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में रा०प्रा०वि० पदों पर कार्यरत निम्नलिखित प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ चार में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण - प्र०अ०, रा०प्रा०वि०

क्र०सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती विभा जोशी	रा०प्रा०वि०, सारी	रा०प्रा०वि०, गुमालगाँव, भीमताल	
2	श्रीमती अरुणा पाठक	रा०प्रा०वि०, रामडी आनसिंह	रा०प्रा०वि०, खैरोला भीमताल	
3	श्रीमती विमला गुणवन्त	रा०प्रा०वि०, डाकबंगला	रा०प्रा०वि०, रौशिल मल्ला	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- 1 स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने वर्तमान उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विद्यालय के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे तथा उनकी अनुमति के पश्चात् अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस बात का अवश्य संज्ञान लिया जाय कि विद्यालय शिक्षक विहीन न हो।
- 2 स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये प्रधानाध्यापक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


25/6/19

(गोपाल स्वरूप)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।
तद्दिनांक।

पृ०सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/ 168/87 /2018-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 मण्डलीय अपर निदेशक प्रा०शि० कु०म० नैनीताल।
- 4 मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल।
- 5 सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद नैनीताल।
- 6 सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रधानाध्यापकों को अपने स्तर से कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय किसी भी दशा में बन्द न होने पायें। कतिपय स्थानान्तरण संभावित रिक्त पद के प्रति भी किये गये हैं अतः यह सुनिश्चित हो ले कि अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आये शिक्षकों को कार्यमुक्त करना अनिवार्य है।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को संबंधित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
- 8 कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


25/6/19

(गोपाल स्वरूप)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।

कार्यालय ज्ञाप


उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या 152/ XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07-06-2019 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में रा०प्रा०वि० पदों पर कार्यरत निम्नलिखित प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मनाकानुसार स्तम्भ चार में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

दुर्गम से सुगम अनिवार्य स्थानान्तरण-प्र०अ०, रा०प्रा०वि०

क्र०सं०	सहायक अध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती मुन्नी नेगी	रा०प्रा०वि०, सुरालगाँव, रामगढ	रा०प्रा०वि०, देवला मल्ला, रामगढ	
2	श्रीमती पार्वती कोटियाल	रा०प्रा०वि०, मोरा, भीमताल	रा०प्रा०वि०, ईसाईनगर,	
3	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	रा०प्रा०वि०, सिरमोली, रामगढ	रा०प्रा०वि०, हरिपुर जमनसिंह	
4	श्रीमती परमेश्वरी वर्मा	रा०प्रा०वि०, गुमालगाँव, भीमताल	रा०प्रा०वि०, उदयपुरी, कोटाबाग	
5	श्री मोहन चन्द्र	रा०प्रा०वि०, गोरियादेव, कोटाबाग	रा०प्रा०वि०, सेमलचौड,	
6	श्री अनूप सिंह	रा०प्रा०वि०, ओडाबासोट, नैनीताल	रा०प्रा०वि०, बसानी	
7	श्रीमती दुर्गेश नन्दिनी पन्त	रा०प्रा०वि०, जगलियागाँव	रा०प्रा०वि०, डांकबंगला, भीमताल	
8	श्री धर्मवीर सिंह	रा०प्रा०वि०, मझेडा, धारी	रा०प्रा०वि०, बैलपोखरा	
9	श्री नन्द किशोर पन्त	रा०प्रा०वि०, रीठा, बेतालघाट	रा०प्रा०वि०, मायारामपुर	
10	श्रीमती दमयन्ती रोतेला	रा०प्रा०वि०, अधौडा, भीमताल	रा०प्रा०वि०, सारी	
11	श्रीमती रमा आर्या	रा०प्रा०वि०, नलनी, भीमताल	रा०प्रा०वि०, रूसी	
12	श्रीमती नन्दी जोशी	रा०प्रा०वि०, चोपडा, रामगढ	रा०प्रा०वि०, गरमपानी	
13	श्रीमती चम्पा त्रिपाठी	रा०प्रा०वि०, चांफा, रामगढ	रा०प्रा०वि०, नयागाँव कोटाबाग	
14	श्रीमती मुन्नी देवी	रा०प्रा०वि०, शिवनाथपुर, रामनगर	रा०प्रा०वि०, गाँधीनगर, रामनगर	
15	श्रीमती आशा बिष्ट	रा०प्रा०वि०, दुत्कानेधार, रामगढ	रा०प्रा०वि०, धुलई	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- 1 स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने वर्तमान उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विद्यालय के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे तथा उनकी अनुमति के पश्चात् अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस बात का अवश्य संज्ञान लिया जाय कि विद्यालय शिक्षक विहीन न हों।
- 2 स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये प्रधानाध्यापक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


(गोपाल स्वरूप) 25/6/19

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।

पृ०सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/

1627-32

/2019-20

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 मण्डलीय अपर निदेशक प्रा०शि० कु०म० नैनीताल।
- 4 मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल।
- 5 सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद नैनीताल।
- 6 सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रधानाध्यापकों को अपने स्तर से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय किसी भी दशा में बन्द न होने पायें। कतिपय स्थानान्तरण संभावित रिक्त पद के प्रति भी किये गये हैं अतः यह सुनिश्चित हो ले कि अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आये शिक्षकों को कार्यमुक्त करना अनिवार्य है।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों को संबंधित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
- 8 कार्यालय सुरक्षित पंजिका।



(गोपाल स्वरूप)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नैनीताल।

आदेश सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/ 115

/2019-20 दिनांक 25 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या 152/ XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07-06-2019 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में रा०प्रा०वि० पदों पर कार्यरत निम्नलिखित प्रधानाध्यापकों को अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ चार में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-
अनुरोध के आधार पर उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी श्रेणी में स्थानान्तरण - प्र०अ०, रा०प्रा०वि०

क्र०सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती मंजू नेगी	रा०प्रा०वि०, रामगढ तल्ला, रामगढ	रा०प्रा०वि० भरतपुर, भीमताल	
2	मुन्नी चंगेठा	रा०प्रा०वि०, खमारी पूर्वी, भीमताल	रा०प्रा०वि० सूर्याजाला, भीमताल	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- 5 स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने वर्तमान उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विद्यालय के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे तथा उनकी अनुमति के पश्चात् अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस बात का अवश्य संज्ञान लिया जाय कि विद्यालय शिक्षक विहीन न हो।
- 6 स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7 स्थानान्तरित किये गये प्रधानाध्यापक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8 स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(गोपाल स्वरूप)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।

पृ०सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/ 1533-38

/2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 मण्डलीय अपर निदेशक प्रा०शि० कु०म० नैनीताल।
- 4 मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल।
- 5 सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद नैनीताल।
- 6 सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रधानाध्यापकों को अपने स्तर से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय किसी भी दशा में बन्द न होने पायें। कतिपय स्थानान्तरण संभावित रिक्त पद के प्रति भी किये गये हैं अतः यह सुनिश्चित हो ले कि अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आये शिक्षकों को कार्यमुक्त करना अनिवार्य है।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को संबंधित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
- 8 कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

(गोपाल स्वरूप)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नैनीताल।

आदेश सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/116

/2019-20 दिनांक 2 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या 152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07-06-2019 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में रा०प्रा०वि० पदों पर कार्यरत निम्नलिखित प्रधानाध्यापकों को अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ चार में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-
अनुरोध के आधार पर मानसिक रूप से विकसित अथवा ऐसे रोगग्रस्त बच्चे जो पूर्णतः लाचार हैं तथा देखभाल/नित्यक्रिया आदि के लिए पूर्णतः माता पिता पर निर्भर हैं श्रेणी में स्थानान्तरण - प्र०आ०,रा०प्रा०वि०

क्र०सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मनोहरलाल	रा०प्रा०वि०, लालकुआँ ग्राम	रा०प्रा०वि०, देवलचौड, हल्द्वानी	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने वर्तमान उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विद्यालय के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे तथा उनकी अनुमति के पश्चात् अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस बात का अवश्य संज्ञान लिया जाय कि विद्यालय शिक्षक विहीन न हो।
2. स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये प्रधानाध्यापकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(गोपाल स्वरूप)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।

पृ०सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/1639-44 /2019-20 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड-देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक प्रा०शि० कु०म० नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद नैनीताल।
6. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रधानाध्यापकों को अपने स्तर से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय किसी भी दशा में बन्द न होने पायें। कतिपय स्थानान्तरण संभावित रिक्त पद के प्रति भी किये गये हैं अतः यह सुनिश्चित हो ले कि अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आये शिक्षकों को कार्यमुक्त करना अनिवार्य है।
7. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को संबन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
8. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

(गोपाल स्वरूप)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नैनीताल।

आदेश सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/

/ 2019-20 दिनांक 25 जून, 2019


कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या 152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07-06-2019 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में, रा०प्रा०वि० पदों पर कार्यरत निम्नलिखित प्रधानाध्यापकों को अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ चार में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-
अनुरोध के आधार पर कार्मिक स्वयं अथवा पति-पत्नी की गम्भीर रोगग्रस्तता/विकलांगता श्रेणी में स्थानान्तरण - प्रा०अ०,रा०प्रा०वि०,

क्र०सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री निष्ठा कबडाल	रा०प्रा०वि०,ओखलढुगा,भीमताल	रा०प्रा०वि०,जयपुरबीसा,हल्द्वानी	
2	श्रीमती दयावन्ती आर्य	रा०प्रा०वि०,पोखराड,धारी	रा०प्रा०वि०,गोरखपुर,भीमताल	
3	श्री बहादुर राम	रा०प्रा०वि०,ब्यासी,बेतालघाट	रा०प्रा०वि०,मुखानी,हल्द्वानी	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- 1 स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने वर्तमान उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विद्यालय के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे तथा उनकी अनुमति के पश्चात् अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस बात का अवश्य संज्ञान लिया जाय कि विद्यालय शिक्षक विहीन न हो।
- 2 स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये प्रधानाध्यापक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


 (गोपाल स्वरूप) 25/6/19
 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
 नैनीताल।

पृ०सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/

/ 2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 मण्डलीय अपर निदेशक प्रा०शि० कु०म० नैनीताल।
- 4 मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल।
- 5 सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद नैनीताल।
- 6 सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रधानाध्यापकों को अपने स्तर से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय किसी भी दशा में बन्द न होने पायें। कतिपय स्थानान्तरण संभावित रिक्त पद के प्रति भी किये गये हैं अतः यह सुनिश्चित हो ले कि अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आये शिक्षकों को कार्यमुक्त करना अनिवार्य है।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को संबंधित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
- 8 कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


 (गोपाल स्वरूप)
 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
 नैनीताल।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नैनीताल।

आदेश सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/

107

/2019-20 दिनांक 25 जून 2019

कार्यालय ज्ञाप


उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या 152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07-06-2019 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में रा०उ०प्रा०वि० पदों पर कार्यरत निम्नलिखित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के मनाकानुसार स्तम्भ चार में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

अनुरोध के आधार पर दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र हेतु स्थानान्तरण -स०अ० रा०उ०प्रा०वि०

क्र०सं०	सहायक अध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम		स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	विनीता बिष्ट	रा०उ०प्रा०वि० पुरानी चौरसा	वि०/ग०	रा०उ०प्रा०वि०, नैनीचक, बेतालघाट	
2	दयालु सिंह	रा०उ०प्रा०वि० घंघरेटी	भाषा	रा०उ०प्रा०वि०, हल्दयानी, बेतालघाट	
3	हेमा रानी	रा०उ०प्रा०वि० पतलिया	वि०/ग०	रा०उ०प्रा०वि०, बाघनी, कोटाबाग	
4	श्री जितेन्द्र कुमार	रा०उ०प्रा०वि० बज्युठिया रामगढ	सा०वि०	रा०उ०प्रा०वि०, कफूराकुमाटी, रामगढ	
5	दीपा जोशी	रा०उ०प्रा०वि० सिगडी, घूगू, कोटाबाग	भाषा	रा०उ०प्रा०वि०, महरोडा, कोटाबाग	
6	संजय विश्वकर्मा	रा०उ०प्रा०वि० धैना	सा०वि०	रा०उ०प्रा०वि० सुयालगाड, रामगढ	
7	चन्द्रनाथ	रा०उ०प्रा०वि० घंघरेटी	सा०वि०	रा०उ०प्रा०वि० अमेल बेतालघाट	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:

- 1 स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने वर्तमान उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विद्यालय के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे तथा उनकी अनुमति के पश्चात् अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस बात का अवश्य संज्ञान लिया जाय कि विद्यालय शिक्षक विहीन न हो।
- 2 स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये सहायक अध्यापक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


(गोपाल स्वरूप) 25/6/19

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।

पृ०सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/ 1581-87 /2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 मण्डलीय अपर निदेशक प्रा०शि० कु०म० नैनीताल।
- 4 मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल।
- 5 सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद नैनीताल।
- 6 सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सहायक अध्यापकों को अपने स्तर से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय किसी भी दशा में बन्द न होने पायें। कतिपय स्थानान्तरण संभावित रिक्त पद के प्रति भी किये गये हैं अतः यह सुनिश्चित हो ले कि अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आये शिक्षकों को कार्यमुक्त करना अनिवार्य है।
- 7 सम्बन्धित सहायक अध्यापक को संबन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
- 8 कार्यालय सुरक्षित पंजिका।



(गोपाल स्वरूप)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नैनीताल।

आदेश सं०/प्रा०शि०/दो(2)/स्था०/180

/2019-20 दिनांक 21 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप


उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या 152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07-06-2019 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में, रा०उ०प्रा०वि० पदों पर कार्यरत निम्नलिखित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ चार में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण सं०अ० रा०उ०प्रा०वि०

क्र०सं०	सहायक अध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	विषय	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती गुलशन	रा०उ०प्रा०वि०, गौजाजाली	वि०/ग०	रा०उ०प्रा०वि०, चन्द्रकोट, बेतालघाट	
2	श्रीमती बीना बिष्ट	रा०उ०प्रा०वि०, किशनपुर	वि०/ग०	रा०उ०प्रा०वि०, चमोली गौजा, ओखलकाण्डा	
3	श्रीमती शान्ति	रा०पू०मा०वि०, चन्द्रनगर	भाषा:	रा०उ०प्रा०वि०, कालाखेत, बेतालघाट	
4	श्रीमती आशा कपिल	रा०क०पू०मा०वि०, दुगसिल	वि०/ग०	रा०उ०प्रा०वि०, मुक्तेशवर रामगढ	
5	श्रीमती रमा पाठक	रा०उ०प्रा०वि०, पवलगढ	वि०/ग०	रा०उ०प्रा०वि०, हैडाखान, ओखलकाण्डा	
6	श्रीमती मंजू जोशी	रा०उ०प्रा०वि०, चन्द्रनगर	सामा०वि०	रा०उ०प्रा०वि०, मज्यूली धारी	
7	श्री मौ०तारीक	स०अ०, रा०उ०प्रा०वि०, (कार्यमुक्त सी०आर०सी०चिल्किया)	वि०/ग०	रा०उ०प्रा०वि०, हल्दियानी, बेतालघाट	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- 1 स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने वर्तमान उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विद्यालय के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे तथा उनकी अनुमति के पश्चात् अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस बात का अवश्य संज्ञान लिया जाय कि विद्यालय शिक्षक विहीन न हो।
- 2 स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये सहायक अध्यापक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यवेदन दिया जा सकेगा।



(गोपाल स्वरूप) 25/6/19

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।

पृ०सं०/प्रा०शि०/दो(2)/स्था०/1588-97/2019-20
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 मण्डलीय अपर निदेशक प्रा०शि० कु०म० नैनीताल।
- 4 मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल।
- 5 सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद नैनीताल।
- 6 सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सहायक अध्यापकों को अपने स्तर से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 7 सम्बन्धित सहायक अध्यापक को संबंधित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
- 8 कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

तद्दिनांक।


(गोपाल स्वरूप)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नैनीताल।

आदेश सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/

109

कार्यालय ज्ञाप

/2019-20 दिनांक

25 जून, 2019

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या 152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07-06-2019 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में कार्यरत स०अ०,रा०उ०प्रा०वि० पदों पर कार्यरत निम्नलिखित सहायक अध्यापकों को अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ चार में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-
उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के आधार पर स्थानान्तरण - स०अ०,रा०उ०प्रा०वि०

क्र०सं०	सहायक अध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	विषय	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	
1	अरुण कुमार सिंह	रा०उ०प्रा०वि०, चोपडा, रामगढ, नैनीताल	भाषा	रा०उ०प्रा०वि०, सावलदे	
2	हेमलता जोशी	रा०उ०प्रा०वि०, परवडा	भाषा	रा०उ०प्रा०वि०, चौंसला हल्द्वानी	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- 1 स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने वर्तमान उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यभार मुक्त होकर स्थानान्तरित विद्यालय के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे तथा उनकी अनुमति के पश्चात् अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 2 स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये सहायक अध्यापक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


25/6/19

(गोपाल स्वरूप)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।

पू०सं०/प्रा०शि०/दो(२)/स्था०/

1599-1800

/2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 मण्डलीय अपर निदेशक प्रा०शि० कु०म० नैनीताल।
- 4 मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल।
- 5 सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद नैनीताल।
- 6 सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सहायक अध्यापक को अपने स्तर से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय किसी भी दशा में बन्द न होने पायें। कतिपय स्थानान्तरण संभावित रिक्त पद के प्रति भी किये गये हैं अतः यह सुनिश्चित हो ले कि अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आये शिक्षकों को कार्यमुक्त करना अनिवार्य है।
- 7 सम्बन्धित सहायक अध्यापक को संबंधित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
- 8 कार्यालय सुरक्षित पंजिका।



(गोपाल स्वरूप)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
नैनीताल।